संख्या:87/2015/879जेएल/22-3-15-100(26)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2015***

विषय: जिला कारागार-मथुरा में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-8704/सामा-1(3)/आगरा मं0/2015, दिनांक 16-03-2015 में की गयी संस्तुति एवं मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5, मथुरा तथा मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार **जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध निम्नलिखित बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत बंदियों के विरूद्ध अन्य मा0 न्यायालयों में चल रहें विचाराधीन वादों में मा0 न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी :-**

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	हरेन्द्र राणा पुत्र श्री सुरेन्द्र राणा	जिला कारागार, मथुरा।	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
2	धीरी सिंह पुत्र श्री हेतसिंह	जिला कारागार, मथुरा।	केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:87/2015/879जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- पुलिस अधीक्षक, मथुरा।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़/नैनी, इलाहाबाद।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।